रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 7 फरवरी, 1989/18 माघ, 1910

### हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 फरवरी, 1989

क्रमांक एल० एल० आर० (डी) (6) 18/88 लेजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत क संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 4 फरवरी, 1989 को अनुमोदित

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1988 (1988 का विधेयक संख्यांक 15) का 1989 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

1988 का अधिनियम संख्यांक 3

# हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1988

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 4 फरवरी, 1989 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ।

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1988 है।

धारा 6-ख का संशोधन।

का 8 2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6-ख में,—

(क) उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में आए "प्रतिमास पन्द्रह सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार के उच्चतम श्रेणी-1 के अधिकारी को अनुज्ञेय पेन्शन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा (1-अ) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(1-अ) उप-धारा (1) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, प्रत्येक सदस्य जो उप-धारा (1) के अधीन इस कारण से पेन्शन प्राप्त करने का हकदार नहीं है कि उसने उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदस्य के रूप में सेवा नहीं की है तो उसे—

(i) यदि उसने एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञेय पेन्शन की राशि के एक तिहाई के बराबर;

(ii) यदि उसने दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञेय पेन्शन की राशि के दो तिहाई के बराबर; और

(iii) यदि उसने तीन वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञेय पेन्शन की राशि के बराबर;

पेन्शन संदत्त की जाएगी।"

(ग) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा (5) प्रतिस्थापित की जाएगी और तत्पश्चात् नई उप-धाराएं (6) और (7) जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"(5) जहां उप-धारा (1) के अधीन पेन्शन लेने वाले या पेन्शन लेने के लिए हकदार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो—

(i) उसकी पत्नी/पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त; या
(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति नहीं है तो व्यस्कता की आयु अभिप्राप्त करने पर्यन्त उसकी संतान और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह पर्यन्त;

इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर पेन्शन लेने के हकदार होंगे :

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन लेने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को समान अंश में लेने क हकदार होंगे।

(6) राज्य सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों में परिवर्तन कर सकेगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के तत्काल पश्चात्, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(7) प्रत्येक व्यक्ति को जो इस धारा के अधीन पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेता है या पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेने का हकदार है, अनुज्ञेय पेन्शन/कुटुम्ब पन्शन के अतिरिक्त, उसी दर से पेन्शन पर मंहगाई राहत संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार के अन्य पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय हैं।"

अनुसूची का जोड़ना।

3. मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

[धारा 6-ख की उप-धारा (5) और (6) देखें]

धारा 6-ख की उप-धारा (5) के अधीन कुटुम्ब पेन्शन की दरें निम्नलिखित होंगी :—

| भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों को धारा 6-ख की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिमास अनुज्ञेय पेन्शन | प्रतिमास कुटुम्ब पेन्शन की दर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| (i) 750 रुपये से अनधिक | 375 रु0 की न्यूनतम सीमा के अधीन रहते हुए, पेन्शन का साठ प्रतिशत। |
| (ii) 750 रु0 से अधिक किन्तु 1500 रु0 से अनधिक | 450 रु0 की न्यूनतम सीमा के अधीन रहते हुए पेन्शन का चालीस प्रतिशत। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| (iii) 1500 रु0 से अधिक | 600 रु0 की न्यूनतम और 1250 रु0 की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पेन्शन का तीस प्रतिशत।" |

अस्थायी उपबंध ।

4. कोई व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, मूल अधिनियम के अधीन उस राशि से अधिक कुटुम्ब पेन्शन प्राप्त करता है जिसके लिए वह इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा यथा संशोधित धारा 6-ख की उप-धारा (5) के उपबंधों के अधीन हकदार होता, वह उन्हीं दरों पर पेन्शन प्राप्त करता रहेगा किन्तु अनुज्ञेय कुटुम्ब पेन्शन की राशि और उस द्वारा पहले प्राप्त की जा रही राशि के अन्तर को उसके लिए इस बात के अधीन रहते हुए वैयक्तिक माना जाएगा कि इसे मूल अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेन्शन या पेन्शन पर मंहगाई राहत में भावी बढ़ोत्तरी में संविलीन किया जाएगा ।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha* (*Sadasyon ke Bhatte aur Pension*) (*Tritiya Sanshodhan*) *Adhiniyam*, 1989 (1988 *ka Adhiniyam Sankhyank* 3) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

**Act No. 3 of 1989.**

# THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) (THIRD AMENDMENT) ACT, 1988

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 4TH FEBRUARY, 1989)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly* (*Allowances and Pension of Members*) *Act*, 1971 (*Act No.* 8 *of* 1971).

It is hereby enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Third Amendment) Act, 1988.

Amendment of section 6-B.

2. In section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act)— 8 of 1971

(*a*) for the words and figure "Rs. 1500 per mensem", occurring in the second proviso to sub-section (1), the words "the maximum pension admissible to the highest Grade-I Officer of the State Government" shall be substituted;

(*b*) after sub-section (1), the following new sub-section (1-A) shall be added, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1); every person who is not eligible to draw pension under sub-section (1) for the reason that he has not served as member for a period specified therein, shall be paid a pension—

(*i*) if he has served for a period exceeding one year but less than 2 years, equal to 1/3rd of the amount of pension admissible under sub-section (1);

(*ii*) if he has served for a period exceeding 2 years but less than 3 years, equal to 2/3rd of the amount of pension admissible under sub-section (1); and

(*iii*) if he has served for a period exceeding 3 years but less than five years, equal to the amount of pension admissible under sub-section (1).";

(*c*) for existing sub-section (5) the following sub-section (5) shall be substituted and thereafter new sub-sections (6) and (7) shall be added, namely:—

"(5) Where any person who draws pension or is entitled to draw pension under sub-section (1), dies—

(*i*) his/her spouse during his/her life time or till he/she remarries; or

(*ii*) if such person leaves no spouse his minor children till they attain the age of maturity and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension, at the rates specified in the Schedule to this Act:

Provided that where more than one person becomes entitled for pension under this sub-section all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(6) The State Government may, from time to time, by notification published in the Official Gazette, modify the rates specified in the Schedule to this Act:

Provided that every notification under this sub-section shall, immediately after it is issued, be laid before the State Legislative Assembly.

(7) Every person who draws pension/family pension or is entitled to draw pension/family pension shall, in addition to the pension/family pension admissible under this section, be paid dearness relief in pension at the same rates as is admissible to other pensioners of the State Government."

Addition of Schedule.

3. The following Schedule shall be added to the principal Act, namely:—

"SCHEDULE

[*See* sub-sections (5) and (6) of section 6-B]

The rates of family pension under sub-section (5) of section 6-B of the Act shall be as under:—

| Pension admissible to ex-M.L.A. under sub-section (1) of section 6-B per mensem | Rates of family pension per mensem |
|---|---|
| 1 | 2 |
| (*i*) Not exceeding Rs. 750/- | 60 per cent of pension subject to a minimum of Rs. 375-/. |
| (*ii*) Exceeding Rs. 750/- but not exceeding Rs. 1500/- | 40 per cent of pension subject to a minimum of Rs. 450/-. |
| (*iii*) Exceeding Rs. 1500/- | 30 per cent of pension subject to a minimum of Rs. 600/- and a maximum of Rs. 1250-/.". |

Transitory provisions.

4. Any person who, on the commencement of this Act, is in receipt of a family pension under the principal Act in excess of the amount to which he would have been entitled under the provisions of sub-section (5) of section 6-B of the principal Act, as amended by clause (*c*) of section 2 of this Act, he shall continue to draw the pension at the same rates but the difference between the amount of family pension admissible and the amount already being drawn by him shall be treated as personal to him, subject to its being absorbed in future increases in family pension or the dearness relief in pension admissible under section 6-B of the principal Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।